

उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा परामर्श

प्रिय उपभोक्ता,

- हाल में आग की घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GoNCTD) ने दिनांक 13.09.2019 को Ref F6/DFS/MS/2019/5569 और Ref No. F6/DFS/MS/Misc/2019/7690 दिनांक 20-12-2019 के माध्यम से डिस्कॉम्स (बीआरपीएल वेबसाइट – <https://www.bsesdelhi.com/web/brpl/public-awareness-programes> पर अपलोड किया गया है) को परामर्श जारी किया है और मौजूदा बिजली के मीटर, मीटर बोर्ड/पैनल जो इमारत से निकलने के मार्ग में बाधा पैदा कर सकते हैं, उसे हटाने और दूसरी जगह लगाने की सलाह दी है।
- उपभोक्ताओं के परिसरों में डिस्कॉम द्वारा मीटर लगाने तथा अन्य संबंधित कार्य विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत निर्धारित नियमन के तहत किए जाएंगे: (ए) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (इन्स्टॉलेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मीटर्स) नियमन, 2006, और (बी) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (सप्लाय कोड एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड) नियमन, 2017। इसके अलावा, इन्स्टॉलेशन के समय लागू मौजूदा कानूनों उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी और सतर्कता बरती जाती है।
- संदर्भ में आसानी के लिए, सुरक्षा के कुछ पहलू जिन पर उपभोक्ताओं द्वारा उचित विचार और अनुपालन की आवश्यकता होती है, वे इस प्रकार हैं:
 - (ए) अपने परिसर में लोड बढ़ने के कारण किसी भी शॉर्ट सर्किट, ओवर लोडिंग और बिजली के लीकेज से बचने के लिए परिसर में आंतरिक वाइरिंग की नियमित जांच, निरीक्षण और उन्नयन (अंतराल पांच साल से अधिक नहीं होना चाहिए) कराएं। यह काम या तो विद्युत निरीक्षक द्वारा या अधिकृत आपूर्तिकर्ता/विद्युत कंट्रैक्टर द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।
 - (बी) अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर (ईएलसीबी) और अधिशेष करंट सर्किट ब्रेकर (आरसीसीबी) जैसे उपयुक्त सुरक्षा उपकरण स्थापित करें ताकि अर्थ लीकेज के कारण बिजली के किसी झटके से बचा जा सके और अपने परिसर की वाइरिंग में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए एमसीबी लगाएं।
 - (सी) इमारतों और घरों का निर्माण मौजूदा नियमों और एकीकृत भवन उप-नियमों के अनुपालन में किया जाना चाहिए, जो मौजूदा हाई टेंशन/लो टेंशन लाइन्स या किसी अन्य बिजली इन्स्टॉलेशन से निर्दिष्ट दूरी पर हो। यह सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बिजली और मीटर इन्स्टॉलेशन के पास कोई जल जमाव न हो।
 - (डी) बहुमंजिला इमारतों के मालिकों और उनमें रहने वालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भवन के अंदर इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशंस (और काम) इस तरह से किए जाएं और बनाए रखे जाएं ताकि बिजली के झटके और आग लगने के खतरे से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।
 - (ई) इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशंस के पास पार्किंग/वाहनों को खड़ा करना, गैस सिलिंडर, ईंधन टैंक या ज्वलनशील सामग्री का भंडारण आदि नहीं करना चाहिए ताकि आग की घटना से बचा जा सके और बाहर निकलने के रास्ते में कोई अवरोध न हो। मीटर को भूतल पर ऐसी जगह एक अलग मीटर रूम में लगाना चाहिए जहां समुचित वेंटिलेशन हो और पर्याप्त रोशनी हो।
 - (एफ) मीटर इन्स्टॉलेशन और संबंधित उपकरणों को लगाने के लिए मीटर घर हेतु पर्याप्त स्थान के साथ उपयुक्त, लॉक लगाने योग्य फायरप्रूफ और वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट या घेरा मुहैया कराएं। यह परिसर से बाहर ऐसी जगह पर होना चाहिए, जहां डिस्कॉम के मीटर रीडर किसी भी समय आसानी से पहुंच सकें।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और नियमनों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपके परिसर में बिजली की आपूर्ति काटी जा सकती है।

हमारे उपभोक्ताओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसके लिए हम आपकी सहायता और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। यदि आप पाते हैं कि बीआरपीएल का कोई भी इलेक्ट्रिकल इन्स्टॉलेशन असुरक्षित स्थिति में है या आपके इमारत से बाहर निकलने के रास्ते में अवरोध पैदा करता है, तो आपसे आग्रह है कि वैकल्पिक सुरक्षित स्थान की पहचान करें और हमारे स्थानीय डिविजन ऑफिस में इसके बारे में सूचित करें।